न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 23/2022	धारा अन्तर्गत 88,89,90,53 आरटीएक्ट	निर्णय दिनांक : 11.02.2023
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:–श्री गोविन्द सिंह एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री असलम भारती एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. सुरज पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति जाट निवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. गोविन्दसिंहश्री पुरुषोत्तम जाति जाट निवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0–वादीगण

बनाम

1. पुरुषोत्तम पुत्र केसरीलाल जाति जाट निवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. कौशल्या बाई पत्नीकेसरीलाल जाति जाट निवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0
3. गुड्डीबाई उर्फ बृजेश पुत्रीकेसरीलाल जाति जाट निवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0
4. सीमा बाई पत्नी पुरूषोत्तम जाति जाट निवासी पाठेड़ा तहसील बारां जिला बारां राज0
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–

प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुसार विवादित आराजी वाके ग्राम पाठेडा तहसील बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:–

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	लगान	दिशा
1. सूरज पुत्र पुरुषोत्तम जाति जाट सा0 देह	211/1	2.60 है0		–
2. गोविन्द सिंह पुत्र पुरुषोत्तम जाति जाट सा0 देह	211/2	2.60 है0		–
3. पुरुषोत्तम पुत्र केसरीलाल जाति जाट हि0 1/4, कोशल्याबाई पत्नी केसरी लाल हि0 1/4 रहन एस बी आई शाखा, बारां गुड्डी उर्फ बृजेश पुत्री केसरीलाल हि0 1/4, सीमाबाई पत्नी पुरुषोत्तम जाति जाट हि0 1/4 सा0 देह रहन एस बी आई शाखा, बारां	131 132 142 145 211/3 212 364 365 373 374 378 526/1467 527 608 634 732 734 [illegible] 739 740 741 742 824	0.07 है0 1.19 है0 0.55 है0 1.47 है0 1.40 है0 0.14 है0 1.52 है0 0.04 है0 0.09 है0 0.05 है0 0.07 है0 0.13 है0 0.76 है0 1.16 है0 [illegible] है0 0.02 है0 0.08 है0 0.38 है0 0.02 है0 0.06 है0 0.30 है0 0.31 है0 0.16 है0		– –
	किता –23	10.40 है0		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व दरामद करने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप डिकी पर्चा जारी हो। पत्रा[illegible] शुमार होकर वाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 11.02.2023 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

क्र. सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 23/22
दायरा दिनांक :– 08/03/22
निर्णय दिनांक :– 26.8.22

उनवन

1. सुरज आयु 30 वर्ष पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति जाट निवासी पाठेडा
2. गोविन्द सिंह आयु 24 वर्ष पुत्र पुरूषोत्तम जाति जाट निवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

1. पुरूषोत्तम पुत्र केसरीलाल जाति जाट निवासी पाठेडा तहसील व जिला बारां
2. कौशल्या बाई पत्नी स्व0 केशरीलाल
3. गुडडी उर्फ बृजेश पुत्री केशरीलाल
4. सीमाबाई पत्नी पुरूषोत्तम जातियान जाट निवासीगण पाठेडा तहसील व जिला बारां
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90 राज0 टिनेन्सी एक्ट
निर्णय दिनांक :– 26.8.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिहं एड0– वादी
2. श्री असलम भारती एड0–प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53,88, 89, 90 राज0 टिनेन्सी एक्टविरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया ग्राम पाठेडा पटवार हल्का पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान में खाता सं0 नया 167 पुराना 174 में 23 किता रकबा 15.60 है0 खातेदारान कौशल्याबाई पत्नी स्व0 केशरीलाल हिस्सा 1/6 गुडडीबाई उर्फ बृजेश पुत्री केशरीलाल हिस्सा 1/6, पुरूषोत्तम (प्रतिवादी क्रम 1) हिस्सा 1/2 एवं सीमाबाई पत्नी परूषोत्तम हिस्सा 1/6 निहित है [illegible] नंबर131 रकबा 0.07 हेक्टे0, खसरा नंबर 132रकबा 1.19हेक्टे0, खसरा नंबर 142 रकबा 0.5[illegible] खसरा नंबर 145रकबा 1.47 है0, खसरा नंबर 211 रकबा 6.60 है0, खसरा नंबर 212 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 364 खसरा नंबर 1.52 है0, खसरा नंबर 365 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 373 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 374 रकबा 0.05 हेक्टे0, खसरा नंबर378 रकबा 0.07 हेक्टे0, खसरा 526/1467 नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

रकबा 0.13 है0 , खसरा 527 नंबर रकबा 0.76 है0, खसरा 608 नंबररकबा 1.16 है0, खसरा 634 नंबर रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 732 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 734 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 738 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 739 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 740 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 741 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 742 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 824 रकबा 0.16 है0, कुल किता 23, रकबा 15.60 हेक्ट0 उक्त वर्णित आराजियात में प्रतिवादी कम 1 पुरूषोत्तम जो कि वादीगण का पिता है उसका हिस्सा 1/2 है। उक्त आराजियात पैत्रिक है वादीगण प्रतिवादी कम 1 के पुत्र है इसलिए विधितः प्रतिवादी कम 1 की आराजी में वादीगण का समान हक अधिकार है इसलिए प्रतिवादी कम 1 के हिस्से की आराजी इस वादपत्र की विषय वस्तु है। प्रतिवादी कम 1 वादीगण से आये दिन लडाई झगडा करता रहता है तथा शराब एवं जुआ का आदी है तथा वह उक्त आराजी को अपने शौक पुरे करने के लिए वादीगण को उनके हकूको से महरूम करना चाहता है तथा संपूर्ण आराजी में अपने हिस्से को रहन बेचान खुर्द बुर्द करने पर आमादा है इसलिए वादीगण प्रतिवादी कम 1 के हिस्से की आराजी 1/3, 1/3 हिस्से के खातेदार होने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पृथक से दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी कम 1 से कहा कि आप खाता पृथक करवाकर राजस्व रिकार्ड में हमारा समभाग में नाम दर्ज करावे लेकिन प्रतिवादी कम 1 ने स्पष्ट धमकी दी है कि वह वादीगण को कोई हिस्सा नहीं देगा और आराजी को खुर्द बुर्द कर देगा।वादीगण ने प्रतिवादी कम 2 से भी कई बार निवेदन किया कि वह राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादी कम 1 की आराजी में वादीगण का हक हिस्सा दर्ज करे परन्तु वादीगण को कोई सहायता प्राप्त न होने से यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। इस वाद को प्रस्तुत करने का वाद कारण अंतिम बार प्रतिवादी कम 1 से आराजी में वादीगण का नाम दर्ज करवाने की कहने एवं उसके द्वारा स्पष्ट रूय से इन्कार करने पर दिनांक 1/2/2022 को बमुकाम बारां में उत्पन्न हुआ हैं।

वादी का दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम पाठेडा सम्वत 2072–75 खाता सं. 167 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। विवादित आराजी में प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है उक्त आराजी पैत्रक आराजी है वादीगण प्रतिवादी कम 1 के पुत्र हैं। प्रतिवादी कम 1 की आराजी में वादीगण का समान अधिकार है। प्रतिवादी कम 1 सम्पूर्ण आराजी को रहन बेचान करने पर आमादा है वादीगण अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खाते दर्ज करवाना चाहते है वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम [illegible] सम्वत 2072–75 खाता सं0 167 के अनुसार प्रतिवादी कम 1 पुरूषोत्तम पुत्र [illegible] 1/2 दर्ज रिकार्ड है तथा प्रतिवादी कम 2 ता 4 का हिस्सा 1/6, 1/6 दर्ज [illegible] वादीगण प्रतिवादी कम 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

पुत्र है वादीगण अपने पिता के खाते की भूमि से अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहते हे उक्त भूमि पैत्रक है क्योंकि प्रतिवादी कम 2 प्रतिवादी कम 1 की माँ है तथा प्रतिवादी कम 3 बहिन है। उनका हिस्सा 1/6,1/6 दर्ज है। पैतृक सम्पति से वादी अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है

<u>कियात्मक आदेश</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम पाठेडा तहसील बारां के खाता सं. 167 के कुल खसरा नं. 23 किता रकबा 15.60 है0 में वादीगण को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है तदनुरूप प्राथमिक डिकी पर्चा जारी है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:04 IST
Reason: SelfAttested

...य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

प्राथमिक **डिक्री**

...ख्या 23/22	धारा अंतर्गत 53, 88, 89, 90 RTA	निर्णय दिनांक 26.8.22
...म- श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री गोविन्द सिंह	अभिभाषक प्रतिवादी श्री अयतक ...	

वाद शीर्षक

1. सूरज पुत्र पुरुषोत्तम जाति जाट निवासी पोहड़ा
2. गोविन्द सिंह पुत्र पुरुषोत्तम जाति जाट निवासी पोहड़ा तह० बारां

बनाम

1. पुरुषोत्तम पुत्र केसरीलाल जाति जाट निवासी पोहड़ा तह० बारां जिला बारां
2. कौशल्या बाई पत्नी स्व० केशरीलाल
3. गुड्डी उर्फ बृजेश पुत्री केशरीलाल
4. सीमाबाई पत्नी पुरुषोत्तम जातियान जाट निवासीगण पोहड़ा तह० व जिला बारां
5. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम पोहड़ा तह० बारां के खाता सं. 167 के कुल ख० नं० 23 किता रकबा 15.60 हे० में वादीगण को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार पृथक-पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

.... को प्रदान किया जाए।
साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26.8.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां
हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं ...)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:04 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		